(2) आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत भरे जाने वाले पदों की संख्या संकायवार निर्धारित की जानी चाहिए किन्तु किसी भी पद को "आरक्षित पद" के रूप में पदनाम नहीं दिया जाना चाहिए। इन पदों के विज्ञापन में यह सूचित कर देना चाहिए कि योग्य समझे गए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय, लेक्चरार के पद पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करने वाले अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

(3) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार प्रथमतः अलग लेना चाहिए। फिर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से लेना चाहिए।

(4) यदि समिति द्वारा लिए गए साक्षात्कार में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों में से लेक्चरार के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई भी उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो चयन समिति उपयुक्त उम्मीदवारों की, तीन वर्ष की अवधि तक के लिए 700–1300 रुपए के वेतनमान में शोध सहायकों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश कर सकती है और बाद में ये व्यक्ति रिक्तियां होने पर लेक्चरारों के पदों के लिए प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। फरवरी, 1977 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से इस मामले में की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया था। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त उत्तरों का सभा पटल पर रखे गए संक्षेप परिशिष्ट I में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 411/77] राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त उत्तरों का सभा पटल पर रखे गे संक्षेप परिशिष्ट II में दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए स या LT 411/77] अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

तोल में कम तथा घटिया किस्म के उर्वरकों की बिक्री

1118. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि किसानों को उर्वरकों की ऐसी बोरियां बेची जाती हैं जिनका वजन निर्धारित मात्रा से कम होता है तथा जिनमें निर्धारित मूल तत्व कम होते हैं किन्तु उनकी घटी मात्रा का मूल्य कम नहीं किया जाता,

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता को रोकने के लिए क्या प्रयत्न किए जा जा रहे हैं ; और

(ग) क्या व्यापारियों को उर्वरक लाने ले जाने पर कम हुए उर्वरक के लिए छूट दी जाती है और यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) . किसानों को वजन में कम और पोषक तत्वों में अपर्याप्त उर्वरकों के विक्रय के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 के अनुसार थैलों पर उर्वरकों की विशिष्टताओं तथा वजन का उल्लेख करना पड़ता है। इसके संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन से राज्य सरकारें निपटेंगी (उन्हें ऐसे अपराधों के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है ; कम वजन देना भी वजन और मात्रा अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार हैं।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में घटिया दर्जे के उर्वरकों का निपटारा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और इसके लिए विस्तृत विधि भी निर्धारित की गई है। सामान्यतः ऐसा उर्वरक ग्रेन्युलेशन और मिश्रण एककों को बेचा जाता है। इन उर्वरकों का मूल्य उनके पोषक तत्वों के आधार पर किया जाता है।

(ग) वितरक, किसानों को निश्चित विशिष्टताओं और वजन के उर्वरकों का सम्भरण करेंगे। तथापि "वितरण मार्जन" में परिवहन के दौरान हुई कमी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है जैसे यूरिया के मामले में परिवहन के दौरान होने वाली कमी को पूरा करने के लिए 874 रुपए प्रति टन की गुंजाइश छोड़ी गई है।

आलू तथा दालों की नई किस्म

1119. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में आलू तथा दालों की कौन सी नई किस्में जारी की गई हैं और कौन सी जारी किए जाने से पूर्व की स्थिति में हैं; और

(ख) इनके जारी करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यद्यपि वर्ष 1976-77 के दौरान आलू की कोई भी किस्म जारी नहीं की गयी है, दालों के मामले में, चने की एल 550 किस्म, मूग की एम० एल० एम० 9 किस्म तथा लोबिया की सी० 152 किस्म जून 1977 में जारी की गयी है।

आलू की सं० एस एल बी जेड-405 ए, किस्म, जिसका अस्थायी नाम कुफरी नव ज्योत है और सं० जी 2524, जिसका अस्थायी नाम कुफरी नवतेज दिया गया है और दालों में चने की एच० 208, जी 130, जे जी 625 व उन्नीगेरी किस्में, मसूर की पंत 209 व पंत 406 किस्म तथा मटर की ई सी 33866 व एल 116 किस्मों की सिफारिश सम्बद्ध कार्य शिविरों (वर्क शाप्स) द्वारा कर दी गई है और अब वे पूर्व-मोचन (प्रिरिलीज) की स्थिति में है।

(ख) परीक्षण प्लाटों पर, अनेक मौसमों में की गयी जांचों के आधार पर आशाजनक किस्मों की शिनाख्त सम्बद्ध फसलों के कार्यशिविरों